कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख मध्य प्रदेश

क्रमांक 595 /11-भू.प्र./सीमा./2023/218941 ग्वालियर, दिनांक 31.05.2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- समस्त
मध्य प्रदेश ।

विषय- ई. टी. एस. मशीन के साथ-साथ जरीब (चैन सर्वे) से भी सीमांकन कार्य कराये जाने बावत् ।

संदर्भ- म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 415/PS/Rev./PA/17/भोपाल, 22.08.2017

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1758/11-भू-प्र./सीमां./2017 ग्वालियर दिनांक 18.09.2017

विषयान्तर्गत यह प्रकाश में आया है, कि जिलों में सीमांकन प्रकरण अधिक मात्रा में लम्बित है। इनका निराकरण वर्षाकाल के पूर्व कराया जाना है, सन्दर्भित पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था, कि सीमांकन का कार्य ई०टी०एम० मशीन से करवाया जाये (प्रति संलग्न है ।) उक्त मशीनों का उपयोग समुचित रूप से नहीं हो रहा है

2. ई०टी०एस० मशीन से सीमांकन करने में सीमांकन त्रुटिरहित पारदर्शितापूर्वक एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा पुनः सीमांकन किये जाने पर भी यथावत रहता है। सीमांकन हेतु ग्राम में एक बार स्थाई बिन्दु चयनित करने पर उस गांव के अन्य सीमांकन के लिये बार-बार स्थायी बिन्दु का चयन नहीं करना पडता है। ई०टी०एस० मशीनों में स्थाई बिन्दु स्टोर करने की व्यवस्था है। ई०टी०एस० मशीन से फील्ड बुक भी बनायी जा सकती है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध होती है तशा इस मशीन से वर्षाऋतु में भी सीमांकन किया जा सकता है।

3. प्रदेश के सभी जिलों में तहसील स्तर पर ई०टी०एस० मशीन उपलब्ध करवाई गई है, एवं पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनर के रूप में अमले को प्रशिक्षित किया गया है। उक्त प्रशिक्षित अमले से अन्य अमले को भी प्रशिक्षित कराया गया है। संभागायुक्त द्वारा भी अन्य जिलों से अपने संभाग के जिलों में प्रशिक्षण कार्य कराया गया है तथा आप सभी से अपेक्षा की गई कि एक मशीन से वर्ष में कम से कम 250 सीमांकन न्यूनतम किये जायें।

Scanned with OKEN Scanner

4. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 176/7-सर्वे भण्डार/127849/ETS/2023-24 ग्वालियर, दिनांक 03.05.2023 द्वारा खराब ई०टी०एस० मशीन की दुरूस्ती हेतु संबंधित जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख को अधिकृत किया गया है एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 179/4-बजट/1472/2023-24 ग्वालियर दिनांक 08.05.2023 द्वारा दुरूस्ती हेतु बजट राशि 50,000/- का आबंटन भी प्रदान किया गया है, ताकि खराब ई०टी०एस० मशीन को दुरूस्त कराया जा सके ।

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी उपरोक्त पत्रों से सीमांकन हेतु ई०टी०एस० मशीन का अधिकतम उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, तथापि पूर्व में भी जरीब (चैन सर्वे) से सीमांकन कार्य को प्रतिबंधित नहीं किया गया है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि आप सीमांकन कार्य में ई०टी०एस० मशीनों को प्राथमिकता के साथ- साथ जरीब (चैन सर्वे) से भी सीमांकन कार्य कराना सुनिश्चित करें, ताकि लम्बित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जा सके ।

उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक 595 /11-भू.प्र./सीमा./2023/21894 ग्वालियर दिनांक 31.05.2023

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभाग आयुक्त संभाग समस्त म.प्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. क्षेत्रीय उप-आयुक्त क्षेत्र समस्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला समस्त म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner